भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2629

25 मार्च, 2022

"गन्ने की खेती करने वाले किसानों की बकाया राशि"

2629. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों पर किसानों की बकाया राशि का वर्ष-वार और जिले-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या चीनी मिलों द्वारा गन्ना उत्पादक किसानों को भुगतान करने में एक वर्ष से अधिक का विलंब हुआ है;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान बिजली खरीद समझौतों के तहत उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड पर चीनी मिलों का कुल कितना बकाया है, तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को विशेषकर लखीमपुर खीरी जिले में गन्ना किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कोई निदेश जारी किए गए हैं; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले पांच चीनी मौसमों (अक्तूबर-सितंबर) के दौरान चीनी मिलों की वर्ष-वार और जिला-वार गन्ना बकाया राशि का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ख): चीनी मिलों द्वारा गन्ना उगाने वाले किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान करना एक सतत प्रक्रिया है। चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को बकायों का यथासमय भुगतान किया जा रहा है।

.....2/-

(ग): उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने सूचित किया है कि दिनांक 22.02.2022 की स्थिति के अनुसार बिजली खरीद समझौतों के तहत उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड पर 78 चीनी मिलों की 268.65 करोड़ रुपए की राशि बकाया है।

(घ) और (ड.) गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के अनुसार गन्ना मूल्य का भुगतान आपूर्ति के 14 दिनों के भीतर किए जाने की बाध्यता है। किसानों को गन्ना बकाया के भुगतान के संबंध में गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के प्रावधानों को लागू करने की शक्तियां राज्य सरकारों के पास हैं क्योंकि उनके पास इसके क्रियान्वयन के लिए फील्ड संबंधी आवश्यक संरचना उपलब्ध होती है। केंद्रीय सरकार किसानों को गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान सुनिश्चित करने और चूककर्ता मिलों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों को समय-समय पर परामर्श-पत्र जारी करती है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश ने किसानों के गन्ना बकाया का शेष भुगतान करने के लिए उत्तर प्रदेश की उन सभी चूककर्ता चीनी मिलों को नोटिस जारी किए हैं जिन्होंने 50% से कम गन्ना मूल्य का भुगतान किया है जिनमें लखीमपुर खीरी जिले की मिलें भी शामिल हैं।

****

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 25.03.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 2629 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध

पिछले पांच चीनी मौसमों के दौरान किसानों के जिला-वार गन्ना बकाया दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	चीनी मौसम	जिले का नाम	गन्ना बकाया (करोड़ रुपए में)
1.	2016-17	बस्ती	22.29
2.	2017-18	बस्ती	19.65
3.	2018-19	शून्य	शून्य
4.	2019-20	शून्य	शून्य
5.	2020-21	1. बागपत	133.55
		2. गाजियाबाद	12.85
		3. महाराजगंज	14.40
		4. कुशीनगर	9.34
		कुल योग	212.08

****